समाहरणालय भागलपुर

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक–   /रा0

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
भागलपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, पटना।

भागलपुर/दिनांक .... मार्च 2022

विषयः– **माननीय श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–25.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–र–13 के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक 1732/जे0 दिनांक– 11.03.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में बिहार विधान सभा में दिनांक–25.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–र–13 से संबंधित उत्तर सामग्री निम्नवत् हैः–

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर सहित पूरे बिहार में मठ–मंदिर की हजारों एकड़ जमीन उपलब्ध है ?	भागलपुर जिलान्तर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् की 108 मठ–मंदिर की निबंधित परिसम्पत्तियाँ तथा 191 अनिबंधित मठ–मंदिर की परिसम्पत्तियाँ चिन्हित हैं, जिसके अंतर्गत सन्निहित भूमि क्रमशः 341.146 एकड़ एवं 167.026 एकड़ अर्थात् कुल– 508.172 एकड़ है।
2	क्या यह बात सही है कि मठ–मंदिर की जमीन अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। भागलपुर जिलान्तर्गत मठ–मंदिर के अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदित मात्र एक मामला अंचल–गोराडीह अंतर्गत कबीर मठ, संत नगर, सतजोरी का है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् से निबंधित है। कबीर मठ की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचल अधिकारी, गोराडीह द्वारा अतिक्रमण वाद सं0–01/2021–22 संधारित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूरे बिहार के मठ–मंदिर की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सरकार से संबंधित।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

समाहर्त्ता,
भागलपुर।

ज्ञापांक – 1362 /रा0 भागलपुर, दिनांक – 21/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव–सह–उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार पटना को पत्रांक 1732/जे0 दिनांक– 11.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 21/03/22

समाहर्त्ता,
भागलपुर।